क्रं.कि./ (२)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

मामला कमांक

ई कोर्ट नं.– 202204082900021

)	(2)	(3)
2022	– प्रकरण पेश। – प्रकरण का अवलोकन किया गया। – प्रकरण में आवेदक निशांत झा पिता श्री अरविन्द नाथ झा, निवासी कवर्धा द्वारा भूमिस्वामी मिलन पिता बिछिया यादव के खाता की भूमि ग्राम दुल्लाप में स्थित ख.नं. 191/1 रकबा 0.028 हेक्टे. राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भूमिस्वामी के पिता बिछिया, मंगल, दुखवा के सामिलात नाम से नहर निर्माण में अधिग्रहण कर मुआवजा राशि शासन द्वारा प्रदाय किया जा चुका है लेकिन नहर निर्माण अधिग्रहण भूमि का राजस्व मूल अभिलेख में दुरूस्त नहीं किये जाने के कारण मिलन के नाम दर्ज दिखा रहा है। उक्त खाते से भूमिस्वामी का नाम विलोपित किये जाने हेतु भूमि मुआवजा पारित जल संशाधन विभाग से सत्यप्रतिलिपि सूची एवं भू–अर्जन शाखा से सत्यप्रतिलिपि सूची एवं अन्य भूमिस्वामी का भूमि अधिग्रहण हुआ जिसकी सूची सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। –प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्रकरण दर्ज किया जाकर ईश्तहार प्रकाशन कराया गया । नियत अवधि में कोई दावा/आपत्ति पेश नहीं हुआ। – प्रकरण में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान रिकार्ड में ख.नं. 191/1 रकबा 0.028 हेक्टे. मिलन के नाम पर दर्ज है तथा मौके पर नहर नाली बना हुआ है व अर्जित सूची में दर्ज है तथा ख.नं. 191/5 रकबा 0.008 हेक्टे. निशांत पिता अरविन्दनाथ झा के नाम दर्ज है एवं वर्तमान में 7X 50 वर्गमीटर पर मुरूम डाला गया प्रतिवेदित है। – प्रकरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम दुल्लापुर के अन्तर्गत सोनपुरी माइनर के सब माइनर में अर्जित भूमि का विवरण सब माइनर नं.–(3) की सूची, न्यायालय भू–अर्जन अधिकारी राजनांदगॉव का अवार्ड पारित, परिशिष्ट"स"भूमिस्वामी की भूमि का अर्जन परिशिष्ट सूची,खसरा पांचसाला, नक्शा, परिशिष्ट"अ"ब"एवं अन्य दस्तावेज, पटवारी प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । माननीय न्यायालय भू–अर्जन अधिकारी, राजनांदगॉव, जिला राजनांदगॉव का भू–अर्जन प्रक.क. 95अ/82 वर्ष 1988–89 म0प्र0शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग, कवर्धा विरूद्ध सुखऊ/प्रेम एवं अन्य–20 भू धारक सह हिस्सेदार पक्षकारगण ग्राम दुल्लापुर अवार्ड दिनांक 24.01.1990 को सोनपुरी माईनर के अंतर्गत उपशांखा नहर	

निर्माण हेतु ग्राम दुल्लापुर निम्नलिखित निजी भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कृषकों (भू अर्जकों) की संख्या 21 एवं किता ख.नं. 32 रकबा 2.80 एकड़ निजी भूमि जिसका भू-अर्जन अधिनियम के समस्त प्रावधानों के तहत भूमि की कीमत पर आवेदक विभाग म०प्र०शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग, कवर्धा के लिये अर्जित किये जाने का आदेश (अवार्ड) पारित किया गया है जिसके परिपालन में छ.ग.शासन, सिंचाई विभाग कवर्धा अभिलेख अद्यतन आज दिनांक तक नहीं हुआ है । आदेशानुसार छ.ग.शासन, सिंचाई विभाग कवर्धा के नाम पर अभिलेख अद्यतन किया जाना उचित होगा।

– उक्त आदेश के परिपालन में ग्राम दुल्लापुर निम्नलिखित निजी भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अवार्ड पारित दिनांक 24.01.1990 को सोनपुरी माईनर के अंतर्गत उपशाखा नहर निर्माण हेतु कृषकों (भू अर्जकों) की संख्या 21 एवं किता ख.नं. 32 रकबा 2.80 एकड़ निजी भूमि को अर्जन हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के संदर्भ में हल्का पटवारी छ.ग.शासन, सिंचाई विभाग कवर्धा (सोनपुरी माईनर के अंतर्गत उपशाखा नहर निर्माण) के नाम पर अद्यतन कर, अद्यतन की सत्यप्रतिलिपि सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा0द0हो।

अभि. कोष्ट.

ना.तहसीलदार
कवर्धा

[illegible]

नायब तहसीलदार

परिशिष्ट- ब, (1)

[illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

[illegible] भूमिस्वामी की [illegible] परिशिष्ट

क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम	अर्जित भूमि का विवरण (ख.न.)	रकबा हेक्टेयर	अर्जित रकबा का [illegible]	प्रति हेक्टेयर [illegible]	अर्जित भूमि का आर्थिक मूल्य	12% अतिरिक्त [illegible] धारा 23(1) [illegible]	30% सोलेशियम धारा 23 [illegible]	कुल मुआवजा [illegible]
	[illegible]	१६०/[illegible]	[illegible]	.०४	९९४०.००	३९८-००	३२-००	११९-००	५४६.००
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	१४५-००	[illegible]
	साधू [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	४९६-००	४०-००	१४५-००	[illegible]
	[illegible]	१५७/२	००६	००५	"	[illegible]	[illegible]	२९८-००	[illegible]
४	[illegible]	१५३/१	०१२	०१०	"	९९४-००	[illegible]	१४५-००	[illegible]
५	[illegible]	१५३/२	००६	००५	"	४९६-००	४०-००	[illegible]	[illegible]
६	साधू [illegible]	१५२/२	००४	००३	"	२९८-००	२४-००	[illegible]	[illegible]
७	[illegible]	१५२/३	००२	००२	"	१९९-००	१६-००	[illegible]	[illegible]
८	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
११	[illegible]	१५१/१	[illegible]	००६	"	९९४-००	[illegible]	२९८-००	[illegible]
१२	[illegible]	१५२	०१२	०१०	"	१९९-००	१६-००	[illegible]	[illegible]
१३	[illegible]	१५३/२	००३	००२	"	४९६-००	४०-००	१४५-००	[illegible]
१४	[illegible]	१५३/३	[illegible]	००६	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१५	[illegible]	१५३/१	०११	००९	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१६	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१७	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१८	[illegible]	[illegible]	[illegible]	०२१	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१९	[illegible]	[illegible]	०१६	०१३	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२०	[illegible]	१६०/४	००२	००२	"	१९९-००	१६-००	[illegible]	[illegible]
२१	[illegible]	[illegible]	०१४	०११	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२२	साधू [illegible]	१५६/२	००८	००६	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२३	[illegible]	१५६	०११	००९	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२४	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२५	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२६	[illegible]	१५२/४	०११	००९	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२७	[illegible]	१६०/१	००३	००२	"	१९९-००	१६-००	[illegible]	[illegible]
२८	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२९	[illegible]	[illegible]	०११	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
३०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
३१	[illegible]	[illegible]	[illegible]	००२	"	१९९-००	[illegible]	[illegible]	[illegible]
३२	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला कार्यालय, कबीरधाम (छ.ग.)

CANCELLED
Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES